न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 39/12

तारीख रजू :– 29.06.2012

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

आर.ए.एस.

1 सुखलाल पुत्र श्री जौहरीलाल आयु 70 साल } समस्त जाति मीना निवासी

2 हरिमोहन पुत्र श्री रत्तीराम, आयु 40 साल } डोरका तह0 टोडाभीम

जिला करौली राज0।

सायलान

बनाम

1 हरि पुत्र किशनलाल आयु 75 साल

2 मनीराम पुत्र चिरंजी– मृतक

2/1 लोहडी पत्नी मनीराम

2/2 लोकेश } पि0 मनीराम

2/3 मुकेश

3 नेमीचन्द आयु 55 साल } पि. चिरंजी

4 टुण्डाराम आयु 63 साल

5 रामकिशोर आयु 51 साल पुत्र लक्ष्मण

6 लोहरी आयु 63 साल बेवा लक्ष्मण

} समस्त जाति मीना, निवासी शंकरपुर डोरका तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

7 जगना पुत्री लक्ष्मण, पत्नि हरकेश पुत्र नारायण, जाति मीना, निवासी महस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

8 रमेश चन्द पुत्र मूल्या, आयु 48 साल, जाति मीना, निवासी शंकरपुर डोरका तह टोडाभीम जिला करौली राज0।

9 तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 सुनील कुमार जिन्दल – वादीगण की ओर से

2 हंसराम गुर्जर–प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की ओर से

3 प्रतिवादी नं0 7, 8 व 9 की ओर से कोई उपस्थित नही

निर्णय

दिनांक–09.05.2016

उक्त प्रकरण में दिनांक 02.05.2016 को बहस सुनी गयी तथा उक्त पत्रांवली को निर्णय हेतु राजस्व अदालत कैम्प सांकरवाडा में रखा जाकर उक्त प्रकरण को फैसल किया जा रहा है।

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल ख0नं0 318 रकबा 16 ऐयर, 319 रकबा 19 ऐयर, 326 रकबा 10 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 45 ऐयर तथा ख0नं0 317 रकबा 85 ऐयर स्थित ग्राम शंकरपुर डोरका तह0 टोडाभीम में है। सेटिलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी के साबिक ख0नं0 170 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम शंकरपुर तह0 टोडाभीम है। जिसमें सायल नं0 1 के पिता व 2 के बाबा जौहरी पुत्र भौरया हि0 3/4 तथा चिरंजी पुत्र किशनलाल हि. 1/4 के नाम खातेदारी दर्ज थी। जो जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 में भली भांति दर्ज है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सजरा पेश किया है। जिसमें जौहरी के तीन लडके सुखलाल, रत्तीराम व मनोहर थे। जिनमें से मनोहर करीब 30 साल पूर्व लाऔलाद फौत हो गया तथा रत्तीराम के एक लडका सायल नं0 2 हरिमोहन है। इस प्रकार जौहरी की समस्त आराजीयात पर सायलान बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। गैरसायल नं0 2 ता 5 के पिता चिरंजी बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति था। जिसने रेवेन्यू कर्मचारिया से सांठ गांठ का फायदा उठाकर सालान के बुजुर्ग जौहरी की जानकारी में लाये बिना चुपचाप तरीके से आराजीयात मुतजिका मद नं0 2, 3 प्रार्थना पत्र के साबिक ख0नं0 170 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में से

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

सायलान के बुजुर्ग जौहरी के 3/4 हिस्से को हजाफ कराकर अपने भाई जो गैरसायल नं0 1 हरि पुत्र किशनलाल तथा गैरसायल नं0 5 व 7 के पिता व 6 के पति लक्ष्मण पुत्र किशनलाल के नाम साबिक नम्बर 170 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा की सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी दर्ज करवा दी। लेकिन कब्जा सायलान के बुजुर्ग जौहरी का निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012, 2013 से 2016, 2017 से 2020 तथा 2029 से 2032 में स्पष्ट है। साबिक ख0नं0 170 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा के 3/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार जौहरी पुत्र भौरया का जिन जगह पर कब्जा चला आ रहा है। उनका दौराने सेटिलमेन्ट ख0नं0 317 रकबा 85 ऐयर, 326 रकबा 10 ऐयर कायम किया है। लेकिन सेटिलमेन्ट कर्मचारियो ने ख0नं0 317 रकबा 85 ऐयर की खातेदारी गैरसायल नं0 8 रमेश के नाम तथा 326 रकबा 10 ऐयर की खातेदारी गैरसायल नं0 1 ता 7 के नाम गलत रूप से दर्ज करा दी है। इसलिये गैरसायल के नाम हुई गलत खातेदारी को सायलान हजफ कराने के अधिकारी है। बाकया दिनांक 12.06.2012 का है कि गैरसायलान ने सायलान को उक्त ख.नं. 317, 326 को काश्त नही करने की धमकी दी और कहा कि उक्त जमीन की खातेदारी हमारे नाम है। हम इस पर कब्जा करेगे और इसे रहन व्यय करेगे। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया लेकिन गैरसायलान नही माने तब यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज राजस्व रिकार्ड पेश किय है। तथा अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही है। दौराने दावा गैरसायल नं0 2 मनीराम का स्वर्गवास हो गया गैरसायल नं0 2/1 व 2/2 उसके लीगल वारिसान है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान नं0 1 ता 6 की ओर से हंसराम गुर्जर एडवोकेट ने जबाव पेश किया। जिसमें सायलान के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को नकारते हुये, सायलान का कब्जा नही होना बताया और सायलान के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। गैरसायलान नं0 7 ता 9 बाद तामील उपस्थित नही, जिस कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

अमल में लायी गयी हमने सायलान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 नवीन नक्शा सीट, खसरा गिरदावरी संवत् 2013 से 2016, 2017 से 2021, 2029 से 2032 जमावन्दी संवत् 2059 से 2062 जमाबन्दी चालू संवत् 2005 जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 जमाबन्दी संवत् 2043 से 2062 तथा गैरसायलान के दस्तावेजात पर गौर किया तथा उभय पक्षो की बहस सुनी गई। उभय पक्षो के अभिभाषगण द्वारा अपने अभिवचनो में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमने खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 देखी। जिसमें सायलान के बुजुर्ग जौहरी का साबिक ख0नं0 170 के 3/4 हिस्से पर काबिज एवं खातेदारी दर्ज होना अंकित है। इसलिऐ हम गुणावगुण पर निर्णय नही कर प्रार्थना पत्र के निस्तारण के तीनो बिन्दूओ को ध्यान में रखते हुए, सायलान के द्वारा प्राईमाफेसी केश, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तिनीय क्षति, साबित मानते हुए तीनो ही बिन्दूओ को सायलान के हक मे निर्णित किया जाता है तथा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होती है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान आराजी ख0नं0 317 रकबा 85 ऐयर, 326 रकबा 10 ऐयर स्थित ग्राम शंकरपुर डोरका तह0 टोडाभीम में सायलान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे, उक्त आराजी को रहन व्यय नही करे, तथा ऐसा कोई कार्य नही करे, जिससे सायलान व सायलान की आराजी पर विपरीत प्रभाव पडे, तथा गैरसायलान नं0 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी ख0नं0 317, 326 स्थित ग्राम शंकरपुर डोरका के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज सायलान के अलावा अन्य किसी के पक्ष में रजिस्टर्ड या पंजीबद्ध

...जिला कलक्टर
...डाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न करे, गैरसायलान रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखे। पत्रांवली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपजिला कलेक्टर
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)